डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 02/2025-26 के प्रस्तावना, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ एएआई-पोर्ट ब्लेयर/सीपी-I/2025-26

परामर्श पत्र संख्या 02/2025-26

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2025 से 31.03.2030) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 18 जुलाई, 2025

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

प्रस्तावना

वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर सिविल एन्क्लेव के रूप में प्रचालित है। यहाँ एयरसाइड सुविधाएं भारतीय नौसेना के आईएनएस उत्क्रोश के साथ साझा की गई है और यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित है। यह पोर्ट ब्लेयर से 2 किमी दक्षिण में स्थित है और भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए कार्य करने वाला प्रमुख हवाईअड्डा है।

ऐरा द्वारा दिनांक 02 मई, 2024 की सार्वजनिक सूचना संख्या 02/2024-25 द्वारा पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है, जिसका आधार ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 2(i) के प्रावधान के अनुसार हवाईअड्डे की क्षमता इस हवाईअड्डे से वार्षिक यात्री आवागमन (थ्रूपुट) 5 मिलियिन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) है।

वित्त वर्ष 2024-25 के वास्तविक यातायात के अनुसार, पोर्ट ब्लेयर, हवाईअड्डे से 1.65 एमपीपीए यात्री आवागमन (थ्रूपुट) हुआ है।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2030) के संबंध में पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (पीबीआईए) के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत विनियामक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कैपेक्स, प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय और यातायात के अनुमानों को मान लिया है।

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 4 (1) के अनुसार, ऐरा ने प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए परामर्श पत्र के प्रारूप पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ 10 जुलाई, 2025 को एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान, परामर्श पत्र में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में हुई सहमति के अनुसार, यह परामर्श पत्र हितधारकों के परामर्श के लिए जारी किया जा रहा है।

प्राधिकरण ने इस परामर्श पत्र में हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के संबंध में प्राधिकरण के विश्लेषण और टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश किए हैं।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश के तहत निर्धारित टैरिफ की समीक्षा कर इसमें संशोधन किया जा सकता है।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 18 जुलाई, 2025 के परामर्श पत्र संख्या 02/2025-26 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी/टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, satish.kr@aera.gov.in, प्रति secretary@aera.gov.in

हितधारकों की परामर्श बैठक	:	04 अगस्त, 2025
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	18 अगस्त, 2025
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	28 अगस्त, 2025

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी/टैरिफ) से दूरभाष संख्या 011-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 4 : पूर्व नियंत्रण अवधि का टूअप

4.11.1 तालिका 9 के विवरण के अनुसार पूर्व नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

4.11.2 तालिका 10 में उल्लेख किए अनुसार पूर्व नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.11.3 तालिका 11 के अनुसार पूर्व नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए आरएबी को मानना।

4.11.4 तालिका 12 के अनुसार पूर्व नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए 12.21%एफआरओआर को मानना।

4.11.5 पूर्व नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 13 में प्रस्तुत किए अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.6 पूर्व नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 18 के विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

4.11.7 तालिका 21 के अनुसार पूर्व नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.8 तालिका 22 में दिए गए विवरण के अनुसार पूर्व नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना तथा पूर्व नियंत्रण अवधि की इस कमी को प्रथम नियंत्रण अवधि के एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 5: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.3.1 पीबीआईए के लिए तालिका 26 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यात्री और एटीएम यातायात को मानना।

5.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री और एटीएम) को टूअप करना।

अध्याय 6: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

6.5.1 तालिका 30 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

6.5.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

6.5.3 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अतिरिक्त, यदि परियोजना पूर्ण होने में देरी किसी ऐसे कारण से होती है जो एएआई या उसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर है और पर्याप्त रूप से न्यायोचित है, तो प्राधिकरण द्वारा द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक लागत का आकलन करते समय इस पर विचार किया जाएगा।

6.5.4 तालिका 32 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना।

6.5.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

6.5.6 पीबीआईए के लिए तालिका 34 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

6.5.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 7 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

7.3.1 पीबीआईए के लिए तालिका 35 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 8 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.3.1 पीबीआईए के लिए तालिका 36 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 9: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.3.1 पीबीआईए के लिए तालिका 40 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान एएआई द्वारा पीबीआईए के लिए वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना।

अध्याय 10: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

10.3.1 पीबीआईए के लिए तालिका 44 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना, यदि यह प्राधिकरण द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित गैर-वैमानिक राजस्व से अधिक हो ।

अध्याय 11 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.3.1 पीबीआईए के लिए तालिका 47 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के अनुसार वैमानिक कर की राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

अध्याय 12: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.3.1 **प्रथम** नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

अध्याय 13 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

13.3.1 पीआईबीए के लिए तालिका 50 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और मुनाफे को मानना।

13.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एआरआर और वाईपीपी को टू-अप करना।

अध्याय 14 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

14.3.1 पीबीआईए के लिए तालिका 54 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 18 अगस्त, 2025 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, **उड़ान भवन**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
नई दिल्ली –110003.
दूरभाष : 011-24695044-47 फैक्स : 011-24695048

(अध्यक्ष)